

फार्म 21 (FORM 21)
नियम 81 2 देखिए [See rule 81(2)]

कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु अथवा अपात्रता पर कुटुंब के अन्य व्यक्ति का कुटुंब पेंशन संस्वीकृत करने के लिए पत्र का प्रारूप
(Form of letter sanctioning Family Pension to another member of family on death or
ineligibility of a recipient of Family Pension)

सं. (No.).....

भारत सरकार (Government of India)

.....मंत्रालय (Ministry)

.....विभाग/कार्यालय (Department/Office)

दिनांक (dated).....

सेवा में, (To),

वेतन और लेखा अधिकारी (The Pay and Accounts Officer)

विषय:- कुटुंब पेंशन पाने वाले की मृत्यु या अपात्रता पर कुटुंब पेंशन की मंजूरी।

Subject: Grant of Family Pension on death or ineligibility of a recipient of Family Pension.

महोदय/महोदया,

Sir,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....(जो इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय में.....(पदनाम) थे/थी के(नातेदारी) श्री/श्रीमती/कुमारी..... को पी.पी.ओ.सं.....द्वारा दिनांक.....से.....रुपये के कुटुंब पेंशन के संदाय को प्राधिकृत किया गया था। (I am directed to say that Shri/Smt.....(relationship) of late Shri/Smt.....formerly(designation) in this Ministry/Department/Officer was authorised the payment of Family Pension of Rs..... with effect from..... vide PPO No.....)

2. इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि श्री/श्रीमती.....की दिनांक.....को.....के कारण मृत्यु हो गई थी/कुटुंब पेंशन के लिए पात्र नहीं है। (Intimation has been received in this Ministry/Department/Officer that Shri/Smt./Km.died/ceased to be eligible for family pension on account of on.....(date).)

3. मृत सरकारी सेवक/पेंशनभोगी के कुटुंब के उत्तरजीवी सदस्य निम्नलिखित हैं:-

There are the following surviving members of family of the deceased Government servant/pensioner:-

क्रम संख्या (S. No.)	नाम (Name)	जन्मतिथि (Date of Birth)	पता (Address)	मृत पेंशनभोगी के साथ नातेदारी (Relationship with deceased pensioner)	क्या किसी निःशक्तता से पीड़ित है (Whether suffering from any disability)	वैवाहिक प्रस्थिति (Marital status)

4. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के निबंधनों में कुटुंब पेंशन की रकम श्री/श्रीमती/कुमारी.....को संदेय हो गई है। अवयस्क/मानसिक निःशक्त बालक की कुटुंब पेंशन श्री/श्रीमती.....को संदेय हो गई है जो नामनिर्देशिती/संरक्षक है। (In terms of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, the amount of Family Pension has become payable to Shri/Smt./Kumari The Family Pension will be payable on behalf of the minor/mentally disabled child to Shri/Smt. who is the nominee/guardian.)

5. श्री/श्रीमती/कुमारी.....को...../रुपये प्रतिमाह कुटुंब पेंशन दिए जाने की मंजूरी एतद् द्वारा दी जाती है। कुटुंब पेंशन दिनांक.....से प्रभावी होगी और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार धार्य होगी। (Sanction for the grant of Family Pension of Rs. per month to Shri/Smt./Kumari is hereby accorded. The Family Pension will take effect from..... and will be tenable as per the provisions of Sub-rule(6) of rule 54 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.)

6. कुटुंब पेंशन शीर्ष.....के नामे डाली जाएगी। (The Family Pension is debitable to the Head.....)

7. इसके साथ अग्रेषित संलग्नकों की और आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (Your attention is invited to the enclosures forwarded herewith.)

8. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति की जाए और इस मंत्रालय/विभाग कार्यालय को सूचना दी जाती है कि कुटुंब पेंशन के संदाय संबंधी आवश्यक अनुदेश कुटुंब पेंशनभोगी को संसूचना के अधीन संबद्ध संवितरण प्राधिकारी को जारी कर दी गई है। (The receipt of this letter may be acknowledged and this Ministry/Department/Office informed that necessary instructions for the disbursement of family pension have been issued to the disbursing authority concerned, under intimation to family pensioner.)

भवदीय (Yours faithfully),

कार्यालयध्यक्ष (Head of Office)

संलग्नकों की सूची (List of enclosures)-

1. फार्म 14 जांच सूची के साथ (Form 14 (along-with checklist))